

Mobile court

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF J.M.F.C. Gohad, DIST. BHIND (M.P.)

Case No. 185/17

Name and address of the Complainant

Name, parentage, caste and address of accused

सनीष पुत्र राजेश कुमार ठमू 20 साल नि.- संतोष नगर गोहद

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आपने दिनांक 23.09.17 को समय लगभग 1:00 बजे, स्थान गोहद गोहद अंतर्गत थाना गोहद में वाहन नं. 17.8.30 MF 8549 को बिना बीमा के वाहन चलाया के चलाया और इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया है जो कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146/136 MV Act के तहत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में आता है।

तथा आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिष्ठा चाहते हो।

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है।

The offence proved. If any and in case under clause(d) clause(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

// निर्णय //

(आज दिनांक 23.09.17 को घोषित)

01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146/196 M.V. Act के तहत

दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी मनीष पुत्र राधेश, जन्म 20 साल नि. संतापनाग (गोहद) को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146/196 M.V. Act के

तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए क्रमशः राशि रुपये एक हजार रुपये मात्र कुल एक हजार रुपये रू० (1000/-) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 10 दिवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।

04. जप्तबुदा सम्पत्ति वाहन क्र० MP.30 MF-8549 को उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये।

मेरे निर्देशन पर टंकित

Judicial Magistrate First Class
Gohad District M.P.